

बिहार विधान सभा के लिए तारांकित प्रश्न

श्री रत्नेश सादा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दि0-11.07.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-पुन-07 के उत्तर के संबंध में । क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्रीमती लेशी सिंह, प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
तारांकित प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत प्रखण्ड महिषी अंचल में वर्ष 2013 में आए बाढ़ के दौरान ग्राम मंडौल में विसील कुमार, पिता-श्री मनोज सुतियार, श्वेता कुमारी, पिता-श्री दीप नारायण शर्मा की मौत 8 सितम्बर 2013 को बाढ़ के पानी में डूब जाने के कारण हो गई थी;	स्वीकारात्मक है । प्रश्न में नाम विसील कुमार अंकित है, जबकि वास्तविक नाम डिसील कुमार है ।
(2) क्या यह बात सही है कि बाढ़ से मृत उक्त दोनों मृतक के परिजनों को अबतक कोई सरकारी सहायता एवं अनुदान का मुआवजा नहीं मिला है ;	मृतक डिसील कुमार के पिता-श्री मनोज सुतिहार एवं श्वेता कुमारी की माता -श्रीमती अनिता देवी (पिता की अनुपस्थिति में) को अनुग्रह अनुदान की राशि मो0 1,50,000/-की दर से दि0-05.07.2014 को भुगतान कर दिया गया है ।
(3) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी तथा कर्मचारी पर कानूनी कार्रवाई करने एवं मृतकों के परिजनों को मुआवजा मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक -2353 दि0-09.07.14 द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा को मामले में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी पर कानूनी कार्रवाई करने संबंधी कृत कार्रवाई की सूचना विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । दोनों मृतको के परिजनो को मुआवजा मुहैया करा दिया गया है ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि0स0ता0प्र0 -27/2014/...../आ0प्र0 दिनांक -

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक -1498 दि0-28.06.2014 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -04/वि0स0ता0प्र0 -27/2014/.....²⁴²⁹/आ0प्र0 दिनांक - 15/7/14

प्रतिलिपि सुश्री कवित्रा कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव